उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 पिटिशन वाद सं0 03/2007-08

रामवृक्ष साह एवं अन्य .... आवेदक

बनाम

अंचल अधिकारी, जरमुंडी .... विपक्षी

।। आदेश ।।

27/05/2016

यह रे0मि0 पिटिशन वाद सं0 03/2007-08 रामवृक्ष साह एवं गुणाधर मिस्त्री के संयुक्त आवेदन के आधार पर प्रारंभ किया गया है। जिसमें आवेदक का कहना है कि मौजा कुशबाद, अंचल जरमुंडी के दाग सं0 25 के रकवा 09 डीसमल जमींन आवेदक सं0 02 की है जिसमें आवेदक सं0 01 द्वारा मकान बनाया गया है। उक्त दाग से आवेदक सं0 01 को सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, जरमुंडी कैम्प के टी0एल0 वाद सं0 13 द्वारा मकान से उच्छेदित किया गया। इसके विरूद्ध दायर रे0मि0 अपील वाद सं0 35/1984 द्वारा चार्ज ऑफिसर, दुमका द्वारा भी उक्त आदेश को सम्पुष्ट किया गया किन्तु माननीय आयुक्त सं0प0 प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में दायर रे0मि0 रिविजन वाद सं0 130/1987-88 आदेश दिनांक 06.11.2006 को इसे विलोपित किया गया तथा उपायुक्त को इसपर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 20(5) के अन्तर्गत आवेदक सं0 02 को आवेदक सं0 01 से मुआवजा का भुगतान करवाया जाय। फलतः यह आवेदन दायर किया गया है।

इस पर आदेश दिनांक 16.01.2008 द्वारा अंचल अधिकारी, जरमुंडी एवं संबंधित प्रखंड के सहायक अभियंता द्वारा संयुक्त रूप से जमींन का मूल्य के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु आदेश दिया गया किन्तु प्रतिवेदन अबतक अप्राप्त है। चुँकि मामला 2007-08 से लंबित है फलतः उपलब्ध कागजातों के आधार पर आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया।

मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। स्पष्ट है कि प्रश्नगत दाग सं0 25 के रकवा 09 डीसमल जमींन पर आवेदक सं0 01 का मकान बना हुआ है एवं सपरिवार बसोबास कर रहें है। माननीय आयुक्त, सं0प0 प्रमंडल, दुमका द्वारा उक्त जमींन का मुआवजा जमाबन्दी रैयतों के वारिशान आवेदक सं0 02 को भुगतान किये जाने का आदेश है। अंचल अधिकारी, जरमुंडी एवं संबंधित प्रखंड के सहायक अभियंता से उक्त जमींन का मूल्य संबंधी प्रतिवेदन की मांग की गई किन्तु अबतक अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि अंचल अधिकारी, जरमुण्डी/अवर निबंधक, दुमका से उक्त क्षेत्र का स्थानीय बसौड़ी जमींन की दर प्राप्त कर विपक्षी सं0 01 से विपक्षी संख्या-02 को उक्त जमींन का मूल्यांकन कर मुआवजा भुगतान कराने की कार्रवाई करें।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।